

युवा एवं काम समस्याएँ

(ADULT AND SEX PROBLEMS)

युवाओं में तीव्रता से यौनिक विकास होता है। इसके फलस्वरूप यौनिक आकार में वृद्धि होती है तथा उनमें पुष्टता आती है और सक्रियता प्राप्त होती है। यौनिक विकास के फलस्वरूप शारीरिक अंगों में आमूल-चूल परिवर्तन होते हैं और युवाओं में विचारात्मक तथा संवेगात्मक परिवर्तन भी होते हैं। ये परिवर्तन नितान्त नवीन और गहन होते हैं। यौन सम्बन्धी बहुपक्षीय परिवर्तनों के कारण युवाओं को कुछ उलझनों, समस्याओं तथा उत्तेजनाओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं को यौनिक समस्याओं की श्रेणी में रखा जा सकता है। ये समस्याएँ निम्नलिखित हैं—

1. तीव्र शारीरिक परिवर्तन—युवाओं में यौन विकास के फलस्वरूप तीव्र शारीरिक परिवर्तन होते हैं। उनके विषय में युवाओं को पहले से जानकारी नहीं होती है। यौनिक अंगों का विकास, लड़कियों में मासिक स्राव होना, लड़कों में रात्रि स्वलन-होना तथा यौन उत्तेजनाओं का प्रबल होना युवाओं के लिए नये अनुभव होते हैं। सामान्यतः उन्हें इनके कारणों, प्रयोजन तथा उपयोगिता की उचित तथा वैज्ञानिक जानकारी नहीं होती है। इस स्थिति में वे तनावग्रस्त हो जाते हैं और इसका प्रतिकूल प्रभाव उनकी दिनचर्या तथा सामाजिक जीवन पर पड़ता है।

इस समस्या के निवारण के लिए माता-पिता, अभिभावकों तथा अध्यापकों को किशोरावस्था में पदार्पण करने वाले लड़के-लड़कियों को यौन विकास तथा प्रजनन तन्त्र की क्रियाशीलता की समुचित जानकारी बहुत व्यवस्थित तरीके से दी जानी चाहिए। उन्हें यह समझाना चाहिए कि ये सभी परिवर्तन स्वाभाविक हैं तथा युवावस्था में प्रकट होते हैं।

2. प्रबल जिज्ञासा—युवाओं में दूसरी यौनिक समस्या प्रबल जिज्ञासा के रूप में होती है। इस समस्या के प्रबल होने पर वे अपने यौनिक अंगों तथा जनन तन्त्र की क्रियाशीलता एवं भूमिका के विषय में व्यावहारिक तथा सैद्धान्तिक ज्ञानार्जन करना चाहते हैं। इस जिज्ञासा की प्रवृत्ति के कारण युवा कई प्रकार की परेशानियों में भी पड़ जाते हैं। वे उत्तेजना के वशीभूत होकर बहुत से गलत कार्य कर जाते हैं। वे इसे अनुभव करना चाहते हैं। यौन जिज्ञासा के कारण कुछ युवा विचलित व्यवहार भी कर बैठते हैं। वे तनाव तथा अवसाद से ग्रसित हो सकते हैं। यौन जिज्ञासा के कारण ही विषमलिंगी लोगों के प्रति उनका आकर्षण बढ़ जाता है। कभी-कभी वे यौन सम्बन्धों की स्थापना भी कर बैठते हैं जबकि समाज की दृष्टि से इसे अनैतिक माना जाता है। इससे कई बार युवाओं के समक्ष गम्भीर स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं।

इस समस्या के निवारण के लिए माता-पिता, अभिभावक तथा शिक्षकों को यौन जिज्ञासा का उचित सैद्धान्तिक विवरण देना चाहिए तथा उसके अन्य पक्षों की उचित जानकारी प्रदान करें।

महिला लिंग, स्कूल, घर एवं घर से बाहर सुरक्षा (FEMALE GENDER : SCHOOL, HOME AND BEYOND)

महिला लिंग के समक्ष सुरक्षा का प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आज के सन्दर्भ में माना जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा को निम्नलिखित स्थलों पर देखा जा रहा है—

1. **स्कूल में सुरक्षा (Safety in School)**—वर्तमान समय में बालिकाएँ स्कूलों में सुरक्षित नहीं अनुभव कर पा रही हैं। स्कूलों में स्कूल प्रशासन, प्रधानाचार्य, शिक्षक वर्ग तथा साथी-समूह एवं अन्य कर्मचारी वर्ग सभी से बालिकाओं की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो रहा है। बालिकाओं की आयु कम होती है, वे दूसरों के गलत इरादों को भाँप नहीं पाती हैं तथा कई बार डराने-धमकाने पर अथवा भयवश स्कूलों में हुई छेड़खानी, अभद्रता तथा शोषण के बारे में अपने माता-पिता एवं अभिभावकों को बताती नहीं हैं। कई बार छोटी बच्चियों के यौनिक अंगों को गलत इरादों से छुआ जाता है, तो कई बार फेल करने की धमकी देकर स्कूल के पुरुष शिक्षक उनका यौनिक शोषण करते हैं। कई बार इस प्रकार के क्रिया-कलापों में स्कूल के कर्मचारी भी संलग्न देखे जाते हैं। अतः बालिकाओं की स्कूल में सुरक्षा एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इस छेड़छाड़ से पीड़ित बालिकाएँ स्कूल जाना बन्द कर देती हैं अथवा माता-पिता को यदि ज्ञात भी हो जाता है तो वे बदनामी के डर से बालिकाओं को स्कूल जाने से रोक देते हैं। इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में उनका नामांकन कम हो जाता है। बालिकाओं के लिए स्कूलों में सुरक्षित वातावरण होना नितान्त आवश्यक है। माता-पिता का भी यह दायित्व हो जाता है कि वह बालिका यदि स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं होती है और यदि कुछ शिकायत करती है तो उसकी बात धैर्य से सुननी चाहिए। अपने बच्चों को सदैव झूठा और गलत समझना उचित नहीं है। अभिभावकों की इस मनोवृत्ति के कारण बच्चियाँ उनसे खुलकर कुछ कह नहीं पाती हैं।

2. **घर में सुरक्षा (Safety in Home)**—बालिकाएँ केवल स्कूलों तथा घर से बाहर ही असुरक्षित नहीं हैं बल्कि वे घरों में भी असुरक्षित हैं। विभिन्न अनुसन्धानों से यह स्पष्ट हुआ है कि महिलाओं का शोषण 80 प्रतिशत तक घर में ही होता है। घर में करीबी रिश्तेदारों से भी उनकी सुरक्षा प्रभावित होती है। घर में महिला लिंग को कभी-कभी अपने अभिभावकों के शोषण का ही सामना करना पड़ता है। कई बार सौतेले माता-पिता ही उसके शोषण के लिए उत्तरदायी बन जाते हैं। बहुत से रिश्ते काफी निकट के होते हैं जैसे मामा, चाचा, ताऊ, फूफा, जीजा, आदि चचेरे ममेरे भाई, आदि उनसे भी बालिकाएँ सुरक्षित नहीं होती हैं। ये रिश्ते किसी-न-किसी प्रकार से महिला शोषण के लिए उत्तरदायी हो जाते हैं। विवाहित महिलाओं की सुरक्षा प्रश्न चिह्न के घेरे में आ जाती है। विवाहित महिलाओं के ससुराली पक्ष कभी-कभी उसका पति भी उसके यौन शोषण के लिए उत्तरदायी बन जाते हैं। घरों में महिलाओं को एक आर्थिक शक्ति न होने के कारण बोझ माना जाता है और उसका तिरस्कार तथा उपेक्षा की जाती है। इस अवहेलना का एक ज्वलन्त उदाहरण है कि आज एक बड़ी संख्या में कन्या शिशु की भ्रूणावस्था में ही हत्या कर दी जाती है और यह कार्य उनके परिवार तथा रिश्तेदारों द्वारा ही किया जाता है। आज परिवारों में कन्या शिशु की कामना कोई नहीं करता है और यदि अनपेक्षित रूप से कन्या शिक्षा का जन्म हो ही जाता है तो उसकी अवहेलना प्रारम्भ कर दी जाती है। महिला लिंग समाज में जब अपने घर में ही सुरक्षित नहीं हैं तो बाहर कैसे रह सकती हैं। अतः विद्यालय की भाँति ही घर में भी उसकी सुरक्षा एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन गई है।

3. **घर के बाहर (Beyond of Family)**—महिला लिंग घर के बाहर भी अपने आपको सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। आज बाजारों में, कहीं जाने-आने में, बसों में, रिक्शों में तथा रेलगाड़ियों, होटलों में महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं क्योंकि सभी स्थानों पर उनका शोषण करने के लिए लोग तत्पर रहते हैं। एक महिला सदैव अपनी सुरक्षा को लेकर भयाक्रान्त रहती है। महिला लिंग की असुरक्षा का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि आज एक वर्ष की बच्ची से लेकर 80 वर्ष की महिला के साथ भी विभिन्न प्रकार की घटनाएँ घटित हो रही हैं।

महिला की असुरक्षा का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि महिलाओं के साथ अमानवीय घटनाएँ बढ़ती जा रही हैं। देश की 50% के लगभग आबादी का भयाक्रान्त होकर रहना तथा अपनी सुरक्षा को लेकर सदैव चिन्तित होना एक विकासशील तथा प्रजातान्त्रिक देश के लिए अत्यन्त शर्मदायक स्थिति है। महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसा, शोषण तथा अत्याचारों के कारण उनकी असुरक्षा की प्रवृत्ति भी बढ़ती जा रही है।

देश की हजारों महिलाएँ ऐसी कामकाजी हैं जो रात्रि में भी काम करती हैं। बहुत सी महिलाएँ बी.पी.ओ., होटल इन्डस्ट्री, टेलीफोन, समाचार-पत्र, आदि क्षेत्रों में कार्य करती हैं। ऐसी महिलाओं का निश्चिन्त होकर कार्य पर जाना या आना सम्भव नहीं है। अतः महिलाओं में बढ़ती असुरक्षा देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है।

कार्य स्थलों पर भी महिलाओं के साथ अभद्रता एवं शारीरिक शोषण किये जाते हैं। कार्य स्थलों पर भी अधिकारियों द्वारा उनका शारीरिक शोषण होता है। महिला का शारीरिक शोषण काम प्रवृत्ति से प्रेरित नहीं होता है, बल्कि उसके आत्म सम्मान को तोड़ना, उसकी गरिमा को कम करना ही उस शोषण का एकमात्र उद्देश्य होता है।